कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहपुर

प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक: 16.11.2026

थाना ललौली, जनपदीय क्राइम डिटेक्शन टीम व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पिकअप वाहन पर फायरिंग कर 1,52,735/- रुपये लूटने की झूठी सूचना का पर्दाफाश; माल के पैसों का गबन करने हेतु लूट का षड्यंत्र रचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से 1,52,000/- रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद पेचकस व 01 अदद पोको मोबाइल फोन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 14.11.2026 को समय करीब 15:40 बजे पीआरवी (PRV) इवेंट संख्या P14112615588 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना ललौली क्षेत्रान्तर्गत साहब सिंह परिहार के ईंट भट्ठे के सामने बंद पड़े भदौरिया ढाबा (बहद ग्राम महाखेड़ा) के पास पिकअप वाहन संख्या UP78MN0478 पर अज्ञात बाइक सवारों द्वारा फायरिंग कर 1,52,735/- रुपये व मोबाइल फोन लूट लिए गए हैं। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर किए गए घटनास्थल के निरीक्षण व प्राथमिक जांच में लूट की घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुई। वाहन स्वामी श्री आशीष अवस्थी पुत्र राजेश अवस्थी (निवासी E-138 कालिन्दी नगर, थाना पनकी, जनपद कानपुर नगर) द्वारा भी अपने चालक राज शुक्ला की कहानी पर संदेह व्यक्त करते हुए तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना ललौली पर मु0अ0सं0 320/2026 धारा 316(4)/61(2)/3(5) बीएनएस (BNS) पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण व गिरफ्तारी का विवरण:- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा संदिग्ध/गंभीर घटनाओं के सत्यतापूर्ण अनावरण हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जाफरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना ललौली, जनपदीय क्राइम डिटेक्शन टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना की गहन छानबीन की गई। विवेचनात्मक कार्यवाही, साक्ष्य संकलन तथा घटनास्थल के आगे-पीछे लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से परीक्षण करने पर आने-जाने वाले वाहनों एवं बताए गए हुलिए का मिलान न होने से लूट की सूचना पूर्णतः असत्य पाई गई। आज दिनांक 16.11.2026 को संयुक्त पुलिस टीम द्वारा इस फर्जी लूट के षड्यंत्र का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त 1. राज शुक्ला एवं 2. ओम सचान को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशांदेही/कब्जे से नीले बैग में रखे गबन किए गए 1,52,000/- रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद पेचकस व 01 अदद पोको मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/238/217 बीएनएस (BNS) की बढ़ोत्तरी करते हुए गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण:- पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त राज शुक्ला ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपने साथी ओम सचान के साथ मिलकर अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु माल के पैसों का गबन करने और लूट की झूठी सूचना देने की पूर्व-नियोजित साजिश रची थी तथा दिनांक 13.11.2026 को वे घर से ही अपनी जेब में एक रांगा (बुलेट) रखकर निकले थे। दोनों अभियुक्त वाहन स्वामी के पिकअप वाहन (UP78MN0478) में कानपुर नगर से 'भाई-भाई' ब्रांड की नमकीन के

पैकेट लादकर जनपद बांदा के बदौसा व बबेरू ले गए, जहां व्यापारियों को नमकीन की डिलीवरी देने के उपरांत उन्हें कुल 1,52,735/- रुपये प्राप्त हुए। दोनों ने उक्त धनराशि को गिनने के बाद उसमें से 735/- रुपये निकालकर रास्ते में खाने-पीने में खर्च कर दिए। इसके पश्चात वे बांदा से औगासी पुल, गाजीपुर, बहुआ व बंधवा तिराहा से मुड़कर बिन्दकी जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़े तथा ग्राम महाखेड़ा के पास सुनसान स्थान देखकर गाड़ी रोक दी। योजना के मुताबिक शेष 1,52,000/- रुपये राज शुक्ला के नीले बैग में रखकर तथा अपना पोको मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर साथी ओम सचान को सौंप दिया और उसे टेम्पो में बैठाकर कस्बा बिन्दकी में इंतजार करने हेतु भेज दिया। ओम सचान के वहां से जाने के बाद चालक राज शुक्ला ने गाड़ी में ही मौजूद पेचकस से खुद खिड़की का शीशा तोड़ दिया तथा पहले से लाए रांगा (बुलेट) को डैशबोर्ड पर रखकर गोली चलने व लूट होने की मनगढ़ंत सूचना पुलिस को दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राज शुक्ला पुत्र सुशील शुक्ला, निवासी स्टेशन रोड, कस्बा व थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर।
2. ओम सचान पुत्र जय प्रकाश सचान, निवासी अच्छी मोहाल, स्टेशन रोड, कस्बा व थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 1,52,000/- रुपये नकद
2. 01 अदद पोको (POCO) एंड्रॉइड मोबाइल फोन (अभियुक्त राज शुक्ला का, जिसे फर्जी सूचना में लूट ले जाना बताया गया था)।
3. 01 अदद पेचकस (जिसका प्रयोग वाहन का शीशा तोड़कर फायरिंग व लूट का झूठा प्रतिरूपण करने में किया गया था)।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

टीम- A

1. निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल, मय टीम, जनपद फतेहपुर।

टीम- B

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार यादव प्रभारी जनपदीय क्राइम डिटेक्शन टीम मय टीम

टीम- C

1. थानाध्यक्ष श्री दिवाकर सिंह थाना ललौली जनपद फतेहपुर
2. व0उ0नि0 श्री आनन्द वर्मा, 3. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार सिंह,
4. का0 राहुल यादव, 5. का0 अशोक पटेल, 6. का0 पुष्पेन्द्र सिंह, 7. म0का0 अनुप्रिया सिंह, 8. म0का0 खुशी मौर्या, 9. का0 अमन सिंह, 10. का0 प्रमोद कुमार, 11. का0 अतुल तिवारी एवं 12. का0 राहुल कुमार, ।

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर